कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी गोतमबुद्धनगर।

पत्रांकःभ–31 / सीएफओ / जीबीएन–12 / (जीएन) 1354 दिनांकःजुलाई 11 2012.

सेवा मे,

महा प्रबन्धक(वास्तु एवं नियोजन)
वाई0ई0आई0डी0ए0,
गौतमबुद्धनगर।

विषयः **मैसर्स ग्रीन वे गोल्फ विलेज, द्वारा प्लाट न0–टी0एस0–06, सेक्टर–22 डी0 यमुना एक्सप्रेस वे ग्रेटर नौएडा जनपद गौतमबुद्धनगर मे प्रस्तावित प्लाट मे भवनों के निर्माण हेतु ले आउट प्लान मानचित्रो की अनुज्ञा के सम्बन्ध मे अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र का निर्गत किया जाना।**

महोदय,

कृप्या उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि आवेदक मैसर्स ओरिस इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा0 लि0, द्वारा अपने प्रार्थना पत्र दिनांकः 05–06–2012 के माध्यम से प्लाट न0–टी0एस0–02, सेक्टर–22 डी0 यमुना एक्सप्रेस वे ग्रेटर नौएडा जनपद गौतमबुद्धनगर मे प्रस्तावित प्लाट मे ग्रुप हाऊसिंग भवनों के निर्माण हेतु ले आउट प्लान मानचित्र उपलब्ध कराकर अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया हैं।

उक्त क परिपेक्ष्य मे प्रस्तुत भवन के मानचित्रों का परीक्षण अग्निशमन अधिकारी ग्रेटर नौएडा से कराया गया उनके द्वारा अपनी आख्या इस कार्यालय को उपलब्ध कराई गई जिसका सुसंगत मानको के अनुसार परीशीलन अधोहस्ताक्षरी द्वारा किया गया मानचित्रों के अनुसार विवरण निम्नवत हैः–

भवन संरचना–

1–कुल प्लाट एरिया– 40,8622 वर्ग मी0 है।

2–प्रस्तावित ले आउट मे विभिन्न प्रकार के आवासीय भवनो का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है जिसके मानचित्र तैयार कर अलग से अनुमोदन प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।

पहुँच मार्ग–

1– मानचित्रों मे भवन के सामने रोड की चोडाई 100 एवं 45 मी अकित की गई है जिस पर अग्निशमन वाहन सुगमता पूर्वक आ जा सकते है।

2– प्रवेश द्वार– प्रवेश द्वार की चौडाई 5 मीटर मानको के अनुसार है।

अग्निशमन व्यवस्था–

1–आवेदको द्वारा मानचित्रो मे भूमिगत टैंक, रिंग लाइन एवं उस पर फायर हाईड्रेन्टस का प्राविधान साकेतिक किया गया है जो एन0बी0सी0 मानको के अनुसार है।

2–प्रस्तावित बहुमंजिली आवासीय भवनो , होटल, स्कूल कामर्शियल के निर्मार्ण हेतु मानचित्र तैयार कर अलग से स्वीकृति प्राप्त की जानी अनिवार्य होगी।

अत मैसर्स ग्रीन वे गोल्फ विलेज, द्वारा प्लाट न0–टी0एस0–06, सेक्टर–22 डी0 यमुना एक्सप्रेस वे ग्रेटर नौएडा जनपद गौतमबुद्धनगर मे प्रस्तावित ले आउट प्लान हेतु अग्निशमन विभाग को मानको के अनुसार किसी प्रकार की आपत्ति नही है, तथा इस प्लान मे प्रस्तावित भवनों के निर्माण हेतु मानचित्रों पर अलग से स्वीकृति प्राप्त की जानी अनिवार्य होगी।

11/7

(अरूण शर्मा)
मुख्य अग्निशमन अधिकारी,
गौतमबुद्धनगर।

प्रतिलिपिः 1– अग्निशमन अधिकारी ग्रेटर नोएडा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

2– मैसर्स ग्रीन वे गोल्फ विलेज, द्वारा प्लाट न0–टी0एस0–06, सेक्टर–22 डी0 यमुना एक्सप्रेस वे ग्रेटर नौएडा जनपद गौतमबुद्धनगर को अनुपालनार्थ।